

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
तिरहुत नहर प्रमंडल रतवारा, मुजफ्फरपुर
E-mail:- tcdratwara@gmail.com

अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या -03/2026-27

पत्रांक रतवारा, मुजफ्फरपुर / दिनांक

तिरहुत नहर प्रमंडल, रतवारा, मुजफ्फरपुर द्वारा पूर्वी गंडक नहर प्रणाली (गंडक फेज-2) योजना अंतर्गत भू-अर्जन कार्य हेतु जल संसाधन विभाग, बिहार पटना द्वारा मनोनीत/सुचीबद्ध सर्वेक्षण कार्य विशेषज्ञ कम्पनी/एजेन्सी से निम्नांकित कार्यमदों का लिफाफा बंद कोटेशन दर अंकित करने हेतु निम्नरूपेण आमंत्रित किया जाता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

कार्य का नाम :- Submission of final Land Acquisition to concerned DLAO with all allied work under jurisdiction of Executive Engineer, Tirhut Canal Division, Ratwara. Muzaffarpur.

Sl. No.	Item of Work	Unit	Rate in Figure	Rate in word
1	Preparation & Submission of LA Proposal to DLAO (Appendix I to V) based on approved LA Plan.	Per Acre		
2	Assistance and verification of Land Acquisition plan by DM/DLAO/SIA.	Per Acre		
3	Publication of Preliminary notification under L.A. Act 2013 (u/s-11).	Per Acre		
4	Preparation and assistance for compensation determination by Concerning Authority and distribution of Compensation amount and Possession of Land to EE, TCD, Ratwara, Muzaffarpur.	Per Acre		
5	Marking & Fixing stone pillar at every 100m apart both sides of acquired Land.	Per KM		

- कोटेशन आमंत्रण सूचना निर्गत करने की तिथि : दिनांक 08.06.2026
- कोटेशन आमंत्रण कार्यालय का नाम एवं पता : कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
तिरहुत नहर प्रमंडल, रतवारा, मुजफ्फरपुर
- कोटेशन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय : दिनांक 25.06.2026 को अपराहन् 3:00 बजे
- कोटेशन प्राप्त करने का स्थान : कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
तिरहुत नहर प्रमंडल, रतवारा, मुजफ्फरपुर
- कोटेशन खोलने की तिथि, समय एवं स्थान : दिनांक 25.06.2026 को अपराहन् 3:30 बजे
अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में ।

Pz

कोटेशन की शर्तें :-

1. कोटेशनदाताओं से लिफाफा बंद कोटेशन प्राप्त किया जायेगा ।
2. कोटेशन के लिफाफा पर एजेन्सी का नाम, पता एवं मोबाईल नं० अंकित करना अनिवार्य है ।
3. जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा मनोनित/सुचीबद्ध सर्वेक्षण कार्य विशेषज्ञ कम्पनी/एजेन्सी को अलग-अलग कोटेशन देना अनिवार्य होगा ।
4. कोटेशनदाताओं को कार्य मदों का दर अंकों एवं शब्दों में प्रति यूनिट (जी०एस०टी० सहित) उद्धृत करना होगा ।
5. कोटेशनदाता कोटेशन के साथ नाम, स्थायी पता, जी०एस०टी० निबंधन, अद्यतन GST Return File, पैन कार्ड की छायाप्रति देना होगा ।
6. कोटेशनदाता को अपना Payee ID (यदि हो तो) देना होगा, Payee ID नहीं रहने की स्थिति में बैंक विवरणी एवं आधार कार्ड की छाया प्रति Payee ID बनाने हेतु देना अनिवार्य होगा ।
7. कोटेशनदाताओं द्वारा उद्धृत दर के आधार पर सक्षम प्राधिकार द्वारा सफल घोषित कम्पनी/एजेन्सी (जिसका न्यूनतम दर सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित होगा) को कार्यावंटन आदेश निर्गत किया जायेगा ।
8. सशर्त कोटेशन स्वीकार नहीं किया जायेगा ।
9. सफल कोटेशनदाता के विपत्र समर्पित करने पर नियमानुकूल सभी कटौती के उपरांत ही भुगतान किया जायेगा ।
10. अद्योहस्ताक्षरी को किसी भी स्तर पर बिना कारण बताए कोटेशन रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा ।
11. कोटेशनदाता को दर उद्धृत करने के पूर्व कार्य के संबंध में पूर्ण जानकारी कार्यालय में कार्य अवधि में प्राप्त किया जा सकता है या मोबाईल नं० -7463889899 पर सम्पर्क किया जा सकता है । बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा ।
12. संबंधित कोटेशन को विभागीय वेबसाईट www.wrd.bih.nic.in पर देखा जा सकता है ।

~२०~

कार्यपालक अभियंता
तिरहुत नहर प्रमंडल
रतवारा, मुजफ्फरपुर

पत्रांक827..... रतवारा, मुजफ्फरपुर / दिनांक06-06-2027.....

प्रतिलिपि : सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को कोटेशन आमंत्रण सूचना की प्रति (हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी) के साथ 2 (दो) दैनिक लोकप्रिय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सम्प्रेषित ।

अनु० - यथावत् ।

06/06/26
कार्यपालक अभियंता
तिरहुत नहर प्रमंडल
रतवारा, मुजफ्फरपुर